

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रकार अमिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अमिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अमिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
पटवार	56	दुर्गा देवी पुत्री महाशय	167	0.01	दुर्गा देवी पुत्री महाशय	167	0.01
		शांति नाम पुत्र महाशय	168	0.02	शांति नाम पुत्र महाशय	168	0.02
		जयलक्ष्मी देवी पुत्री महाशय	169	5.84	जयलक्ष्मी देवी पुत्री महाशय	169	5.84
		श्रीमती देवी पुत्री महाशय	3	5.87	श्रीमती देवी पुत्री महाशय	3	5.87
		प्राणि जाल साहू			प्राणि जाल साहू		
		देह खातेदार			देह खातेदार		

क्रमांक :- 834/21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.बनारास)

दिनांक :- 01/08/2021, पंच. मौलासर

शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.बनारास)

दिनांक :- 01/08/2021, पंच. मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर

शांति नाम पुत्र महाशय

पटवार (पंच.) मौलासर